

30/3/21

निर्णय (Restoration)

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण पर सुनी गई बहस के दौरान -

* प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है तथा दिनांक 02.08.2002 को प्रार्थी के अधिवक्ता शहर से बाहर होने के कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। जिससे कारण वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। अधिवक्ता द्वारा वाद खारिज होने की जानकारी भी नहीं दी गई। वाद खारिज होने की जानकारी होते ही वादी ने तत्काल दिनांक 23.11.2015 को नकल प्राप्त करके उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। वाद वर्णित आराजी पर वादी के परिवार का जीवन निर्भर है। यदि वाद को पुनः नम्बर (प्रत्यावर्तित) नहीं किया गया तो वादी को अत्यधिक क्षति होगी। वादी के सामने जीवन निर्वाह का संकट पैदा हो जायेगा जो भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। वाद को पुनः नम्बर पर लेने से प्रतिवादी को किसी प्रकार का नुकसान एवं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पुनः नम्बर (प्रत्यावर्तित किया जाकर) वादी को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण के मूल वाद संख्या 145/97 की आर्डरशीट दिनांक 02.08.1997 से 02.08.2002 तक की नकल तथा दावा मय दावे के साथ पेश किये गये दस्तावेजात के फर्द दस्तावेज की नकल पेश की गई है।

* अप्रार्थी क्रम-2 क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्राम दौलतगंज का निवासी है। वादी के साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण वाद खारिज किया गया है जिसकी जानकारी वादी को थी। प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त आदेश दिनांक 02.08.2002 को हुआ है जिसे लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है क्योंकि यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र आंवली रोझडी के मोजा दौलतगंज की वन भूमि है जिस पर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

प्रार्थी ईश्वर आत्मज हरजी द्वारा दिनांक 02.08.1987 को, विवादित आराजी पर अपने लम्बी अवधि के कब्जे (एडवर्स

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम को
हुक्म की लान
में जारी हुआ

पजेशन) के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का एक दावा पेश किया गया था वादी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण, दिनांक 02.08.2002 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

~ अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार वाद वादी दिनांक 02.08.2002 को खारिज कर दिया गया था जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद को पुनः नम्बर लेने का प्रार्थना पत्र लगभग 14 वर्ष बाद दिनांक 03.12.2015 को पेश किया गया। यहाँ अनुपस्थिति का कारण, प्रार्थना पत्र में देरी का कारण, दावे की विषयवस्तु जैसे (सम्बन्धी) प्रश्नों का निर्धारण किया जाकर ही उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना संभव होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि -

○ अनुपस्थिति का कारण : वादी और उनके अभिभाषक के नियत पेशी दिवस को उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तदुपरान्त उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लेने के लिये पेश किये गये प्रार्थना पत्र में अनुपस्थिति का कोई ठोस कारण पेश नहीं किया गया है और ना ही अनुपस्थिति के कारणों सम्बन्धी कोई दस्तावेज आदि पेश किये गये हैं। इस प्रकार वादी के पास नियत पेशी दिवस को न्यायालय में पेश नहीं होने का कोई ठोस कारण मौजूद नहीं है।

○ प्रार्थना पत्र में देरी का कारण : दिनांक 02.08.2002 को अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज होने के बाद वाद को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र लगभग 14 वर्ष बाद दिनांक 03.12.2015 को न्यायालय हाजा में पेश किया गया। The Restoration can be filed within 3 years from the date of cause of action having arisen. The said period of limitation cannot be condoned. इसलिये देरी का कोई ठोस व उचित कारण नहीं होने से वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

○ दावे की विषयवस्तु : यह भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है कि अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज किये गये दावे की विषयवस्तु क्या रही है ? इसका अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादी द्वारा अपना दावा, विवादित आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे से बने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु पेश किया गया था, जबकि उस समय भी विवादित आराजी वन क्षेत्र की भूमि दर्ज रेकार्ड थी। यह भी एक विधिसंगत तथ्य है कि वनक्षेत्र की भूमि को किसी अन्य उपयोग में लेने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है अतः विवादित आराजी का वन विभाग के खाते दर्ज होने तथा वादी द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनुतोष दिया जाना, वाद को रेस्टोर किये जाने के बाद भी, भविष्य में भी दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः उपरोक्त पर कारणों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायसंगत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पुनः नम्बर पर लिये जाने वाद, अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।